



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार 28 अगस्त, 2015

भाद्रपद 6, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4

संख्या 2045/नौ-4-15-29ज-2012

लखनऊ, 28 अगस्त, 2015

अधिसूचना

प0आ10-528

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 112 (क) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 69-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पूर्व प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या 266/नौ-4-14-29ज-2012, दिनांक 29 जनवरी, 2014 के पश्चात् उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (पच्चीसवाँ संशोधन)
नियमावली, 2015

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (पच्चीसवाँ संशोधन) संक्षिप्त भाग, विस्तार
नियमावली, 2015 कही जायेगी। और प्रारम्भ

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

